कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस वृत धौलपुर जिला धौलपुर (राज0)

कमांक:– 648 दिनाक:– 13.03.2018

श्रीमान पुलिस अधीक्षक,
जिला धौलपुर।

विषयः–जॉच रिपोर्ट सी.एम. हेल्प लाईन 181 पर प्राप्त शिकायत संख्या 02180673210586 दिनांक 04.03.2018 द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी 4/209 चित्रकूट वैशाली नगर बार्ड नं0 21 जयपुर के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि परिवादी ने सीएम हेल्प लाईन 181 पर एक शिकायत इस आशय की दर्ज कराई है कि दिनांक 28.01.2018 को प्रमुख समाचार पत्र दैनिक भास्कर जयपुर में प्रकाशित खरब शीर्षक 5–5 लाख रूपये लेकर कुक और स्वीपर पद पर चयन किया है।

उक्त शिकायत की जॉच के सम्बन्ध मे कमान्डेण्ट 6 वी बटालियन आरएसी धौलपुर के कार्यालय पहुँचकर जॉच की गई बिन्दु बाईज जॉच रिपोर्ट निम्न प्रकार है।

1. वरिष्ठ शासन उप सचिव गृह (ग्रुप–1) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प–4(35)गृह –1/2016 दिनांक 23.06.2017 के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रिक्त पदो की सीधी भर्ती से भरे जाने की जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के आधार पर अति0 महानिदेशक पुलिस (मुख्यालय) राज0 जयपुर के कार्यालय के पत्र क्रमांक 4286 दिनांक 03.11.2017के तहत् 6बी बटालियन आरएसी धौलपुर मे स्वीपर के 11 एवं कुक के 03 पदो पर 30 दिवस मे नियमानुसार सीधी भर्ती की कार्यवाही करने के निर्देश प्राप्त हुए। उक्त भर्ती प्रकिया की कार्यवाही मे स्वीपर के 11 रिक्त पदो पर इस युनिट मे स्वीपर के कुल स्वीकृत पद के आधार पर सीधी भर्ती रोस्टर परि पात्रानुसार 11 रिक्त पदो पर सामान्य वर्ग–8, ओ0वी0सी0 वर्ग–02 एवं एसटी वर्ग–01 पद पर भर्ती की प्रकिया हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 1999 एवं शासन सचिव एवं सामान्य सचिव, सामान्य प्रशासन ग्रुप–3, राज0 जयपुर के परिपत्र क्रमांक प–13(15) सामान्य प्रशासन/83 दिनांक 16.03.2001 मे दिये गये प्रावधानो के अनुसार सम्भागीय आयुक्त भरतपुर के कार्यालय से अनुउपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय कमाडेण्ट 6वी बटालियन आरएसी धौलपुर के पत्र क्रमांक 3410–18 दिनांक 17.11.2017 एवं शासोधित- विज्ञप्ती क्रमांक 3515 दिनांक 27.11.2017 के तहत विज्ञप्ती जारी कर इच्छुक अभ्यर्थियो के आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गये। जिसके परिप्रेक्ष्य मे इस कार्यालय मे प्राप्त आवेदन पत्रो के अभ्यर्थियो का कमाडेण्ट 6बी बटालियन आरएसी धौलपुर की अध्यक्षता मे गठित चयन समिति मे दो अन्य मनोनित सदस्य (उपखडाधिकारी धौलपुर एवं सहायक कमाडेण्ट 6 बी बटालियन आरएसी धौलपुर) के समक्ष अभ्यर्थियो के ज्ञान सम्बधी परीक्षण का साक्षात्कार लिया जाकर स्वीपर के 11 रिक्त पदो के विरूद्व सामान्य वर्ग के 08, ओवीसी वर्ग 02 एवं एससी वर्ग के 01 अभ्यर्थियो का चयन किया गया।

इससे यह स्पष्ट है कि स्वीपर के 11 पदो पर नियमानुसार रोस्टर के आधार पर ही सामान्य 08, ओवीसी 02 एवं एसटी 01 के पद पर योग्य अभ्यर्थियो का चयन किया गया है। इस प्रकार परिवाद मे यह कहना कि स्वीपर पद पर 11 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियो का चयन हुआ है, अपने आप मे ही तथ्यहीन व असत्य है।

2. 6बी बटालियन आरएसी धौलपुर मे च0श्रे0कर्म0 की सीधी भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार की गई है। कमाडेण्ट धौलपुर के साथ-साथ भर्ती बोर्ड मे एक जिला कलेक्टर धौलपुर का प्रतिनिधि एवं एक आरएसी धौलपुर का सहायक कमाडेण्ट स्तर का अधिकारी सदस्य के रूप मे उपस्थित रहे है। उक्त भर्ती बोर्ड के समक्ष प्रत्येक अभ्यर्थी का साक्षात्कार एवं ज्ञान परीक्षण की विडियेाग्राफी करवायी जाकर भर्ती बोर्ड के तीनो अधिकारियो द्वारा पद के योग्य पाये गये अभ्यर्थियो का चयन बिल्कुल निष्पक्ष भावना से किया गया है तथा चयन के बाद चयनित अभ्यर्थियो का रिजल्ट सुनाया जाकर वीडियोग्राफी करवायी गई है। 6बी बटालियन आरएसी धौलपुर मे स्वीपर के 11एवं कुक के 03 पदो पर ली गई सीधी भर्ती मे किसी प्रकार का भ्रष्टाचार या पैसे आदि लेकर चयन करने की कार्यवाही नही की गई है।

अखबार दैनिक भास्कर में प्रकाशित समाचार शीर्षक गलत व बिना किसी साक्ष्य के प्रकाशित किया गया है। उक्त भर्ती प्रकिया में कमाडेण्ट 6बी बटालियन आरएसी धौलपुर द्वारा किसी भी चयनित अभियर्थी से किसी प्रकार की कोई राशि नही ली गई है। यह शिकायत भर्ती नही होने वाले व्यक्तियो ने कुंठित होकर उच्चधिकारियो को गुमराह करने की दृष्टि से अखबार में प्रकाशित करवाई गई है जो असत्य एवं निराधार है तथा वाल्मिक समाज के लोगों का चयन इस भर्ती में नहीं होने के कारण उन्होनें भी कुल्ठित होकर यह झूठीं शिकायत की भर्ती में भ्रष्टाचार किया है। मीडिया तक पहुचाई गई है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस युनिट मे स्वीपर पद की कुल स्वीकृति नफरी 16 है तथा स्वीपर पद पर कार्यरत 05 कर्मी एससी वर्ग से पूर्व से ही कार्यरत है। भर्ती हेतु रिक्त 11 स्वीपर के पदो पर एससी वर्ग का रोस्टर व बैकलॉग खाली नही होने के कारण उक्त स्वीपर के 11 रिक्त पदो पर रोस्टर के आधार पर नियमानुसार सामान्य- 08, ओवीसी-02 एवं एसटी -01के पद पर भर्ती ली गई है। अतः जॉच से अखबार में प्रकाशित शीर्षक में अंकित तथ्य असत्य व निराधार पाये गये है। पूर्व में भी सीएम हेल्प लाईन पर एक शिकायत संख्या 02180673185935 दिनांक 19.02.2018 को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच रिपोर्ट इस कार्यालय के पत्र कमांक 520 दिनांक 23.02.2018 को श्रीमान के कार्यालय में प्रस्तुत की गई है।

अतः जॉच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमान की सेवा मे सादर पेश है।

(सतीश कुमार आर.पी.एस.)
उप अधीक्षक पुलिस
वृत धौलपुर